6513

CAP ANIL KUMAR 30/11/2013

DIG E

FROM BJR TO GRP

आदेश

निम्नलिखित आरक्षी स0पु0 को उनके नाम के सम्मुख अंकित नियुक्ति जनपद से 03 वर्ष के लिए राजकीय रेलवे पुलिस में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। आरक्षी स0पु0 की सामान्यतः नियुक्ति 03 वर्ष के लिए की जा रही है तथा आगमन की तिथि से 03 वर्ष की समाप्ति के उपरान्त राजकीय रेलवे पुलिस में विद्यमान रिक्तियों के दृष्टिगत आगमन के वरिष्ठताक्रम में आरक्षी स0पु0 को पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उनके गहन जनपद वापस किया जायेगा। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त संख्याः पांच–1003–2013/2 दिनांक 29.11.2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है:–

क्र0 स0	पदनाम	बैज न0	पी0एन0ओ0	कर्मी का नाम	गृह जनपद	नियुक्ति का जनपद
1	आरक्षी स0पु0	12	112020079	अनिल कुमार	अमरोहा	बिजनौर

30/11/13
(अजय कुमार सिंह)
पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना
नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्याः पांच–1003–2013/14831 दिनांकः नवम्बर 30 ,2013

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त आरक्षी स0पु0, के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें। इन आरक्षी स0पु0 को राजकीय रेलवें पुलिस में 03 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर राजकीय रेलवे पुलिस में विद्यमान रिक्तियों के दृष्टिगत आगमन के वरिष्ठता कम में उनके गहन जनपद को वापस करने की कृपा करें।

2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया आरक्षी स0पु0 को कार्यमुक्त कराने का कष्ट करें।

3– पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त आरक्षी स0पु0 को राजकीय रेलवे पुलिस हेतु कार्यमुक्त कर प्रस्थान की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ सहित सर्वसंबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि उपरोक्त आरक्षी स0पु0 अन्यत्र जनपद के लिए स्थानान्तरणाधीन हो तो उसे राजकीय रेलवे पुलिस हेतु ही कार्यमुक्त किया जायेगा तथा राजकीय रेलवे पुलिस का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त गहन जनपद में वापस आने पर ही स्थानान्तरित जनपद हेतु कार्यमुक्त किया जाय। साथ ही उक्त संबंध में संबंधित जनपद को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाय।

संख्या तथा दिनांक वही–

प्रतिलिपि–पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।